

२९/६/२१

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय वहील
उप। सुना गया। वादी द्वारा मूल
दावा विद्वा कुर लिया है। अतः प्रा०
पत्र खारहीन होने के कारण खारिज
ठिया जाता है पूर्व में जारी न. १.
खारिज की जाती है पत्रावली दाखिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)